कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1453 /एटा/16200/यूपी–167/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 13 , 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : एटा में टुण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 34.792 की बायी पटरी पर ग्राम–शहनउआ के खसरा संख्या–718 में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं प्रभागीय निदेशक, एटा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रभागीय निदेशक, एटा द्वारा प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख/सूचनायें संलग्न की गयी हैं।

1. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2. लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि का गजट संलग्न हैं।
4. परियोजना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. मानक शर्तो के मान्य होने सम्बन्धी शासनादेस की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता, उक्त स्थल का डिजिटल मानचित्र एवं उक्त स्थल चिन्हित टोपोशीट संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रस्तावक की वचनबद्धता संलग्न है।
10. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने हेतु प्रस्तावक की वचनबद्धता संलग्न है।
11. चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12. स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
13. मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
14. FRA-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।
15. प्रस्तावित स्थल का अक्षॉश व देशान्तर अंकित डिजिटल मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी न पड़ने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
17. नवीन ऑनलाइन प्रकिया के अन्तर्गत भाग–2, 3 एवं 4 पर सक्षम अधिकारी की आवश्यक टिप्पणी/संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव की ऑन लाइन डाटा इन्ट्री कर संलग्न है।

प्रस्ताव की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की एक प्रति।

भवदीय,
13/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्रांक– / ,उक्त दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
3– प्रबन्धक(रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0, एटा सेल्स एरिया, एटा।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।